

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 70/2022-23

-:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 732, दिनांक- 08.07.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका फुदा मुर्मू उर्फ फुदनी मंझियाईन, पिता- स्व0 दुबई मांझी, साकिम- कांको, थाना- कतरास, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- कांको, मौजा नं0- 206, गत् खाता सं0- 48, गत प्लॉट सं0- 651, 647, हाल खाता सं0- 115, हाल प्लॉट सं0- 1423 एवं 1427, क्रमशः रकबा- 10 डिसमील एवं 04 डिसमील भूमि क्रेता मालती देवी, पति- फागु मांझी, साकिम- रघुनाथपुर, थाना- कतरास, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता जाति के संधाल है तथा दोनों एक ही थाना- कतरास, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 3.96 एकड़ शेष भूमि बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद ।